कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर

क्रमांक

दिनांक 29.6.2020

प्रकरण संख्या

निर्णय

दिनांक 29-6-2020

पत्रावली पेश हुई जिसका अध्ययन एवं मनन किया गया, जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है :–

हरप्रीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति रामगढिया निवासी गांव 16 एस तहसील श्रीकरनपुर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दादी सास गुरनाम कौर पत्नी गुरदयाल सिंह निवासी चक 16 एस तहसील श्रीकरणपुर ने एक नोटेरी पब्लिक से सत्यापित वसीयत से चक 16 एस के मु0नं0 25 की 2.139 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा यानि 0.305 है0 भूमि उसके नाम की है, जिसका इन्तकाल दर्ज करवाने की मांग की है। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 28.02.2019 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है।

संलग्न वसीयत की प्रति का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वसीयतकर्ता ने चक 16 एस के मु0नं0 25 की 2.139 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा यानि 0.305 है0 भूमि अपनी पौत्रवधु हरप्रीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 16 एस के नाम करवाने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न की गई है। जिसके अनुसार गुरनाम कौर की मृत्यु दिनांक 28.02.2019 को तहसील श्रीकरनपुर में हो चुकी है। वसीयत पत्र दिनांक 01.01.2019 को नोटेरी पब्लिक श्रीकरनपुर से प्रमाणित की गई है।

वसीयत के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 16 एस के मु0नं0 25 की 2.139 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा यानि 0.305 है0 नहरी भूमि गुरनाम कौर पत्नी गुरदयाल सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। रकबा वसीयतकर्ता का स्वयं अर्जित है। रकबा पर

कब्जा वसीयतकर्ता की पौत्रवधु का है, रकबा सिलिंग सीमा से प्रभावित नही है। भूमि बैय नही है भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है और ना ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। रकबा सार्वजनिक कार्य के लिये आवाप्त नही है, का उल्लेख किया गया है। नकल जमाबन्दी एलआरसी से प्राप्त संलग्न है।

इस न्यायालय के पत्र क्रमांक व प्र/भू.अ./2019/2070–71 दिनांक 06.11.2019 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपति/एतराज बावत् किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जो सार्वजनिक दैनिक समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 08.11.2019 के अंक में पृष्ठ संख्या 4 कॉलम संख्या 6 में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस न्यायालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाह जोगिन्द्र सिंह पुत्र दमन सिंह जाति तरखान निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरनपुर व नत्था सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 16 एस तहसील श्रीकरनपुर ने दिनांक 15.01.2020 को अदालत में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये। उनके समक्ष वसीयतकर्ता गुरनाम कौर पत्नी गुरदयाल सिंह ने चक 16 एस की वसीयत लिखवायी थी, जो सही है। वसीयत के समय वसीयतकर्ता पूर्ण स्वस्थ व होश हवास में थी बताया गया एवं वसीयत स्वेच्छा एवं रजामन्दी से होनी बताया गया है एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

राजस्थान में प्रचलित कानूनो के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में यह प्रावधान किया हुआ है कि खातेदार अभिधारी अपनी जोत या उसके किसी भाग को अपने हिस्से की स्वीय विधि के अनुसार वसीयत कर सकता है। यह व्यवस्था हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में तथा भारतीय उतराधिकार अधिनियम की धारा 57, 58 तथा तृतीय अनुसूची में भी की गई है। प्रचलित हिन्दू कानून के अनुसार प्रत्येक स्वस्थचित व्यक्ति जो अवयस्क नही है वसीयत के द्वारा अपनी सम्पति

का निपटारा कर सकेगा। वसीयत के मामले में भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 131(3) में नामान्तरण का तरीका व वसीयत की वैधता की जांच सम्बन्धित व्यवस्था की गई है।

हमने पत्रावली के सभी पक्षों का अध्ययन एवं मनन किया, वसीयतकर्ता ने अपने जीवनकाल में स्वस्थचित दिनांक 01.01.2019 को वसीयत करवाई गई। वसीयत की वैधता को वसीयत के दोनो गवाहो ने सही होना स्वीकार किया एवं सही होने के शपथ पत्र भी पेश किये गये वसीयतकर्ता का देहान्त दिनांक 28.02.2019 को हो चुका है। दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 08.11.2019 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के बाद आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई एतराज/आपति प्राप्त नहीं हुई है। पटवारी हलका की रिपोर्ट के अनुसार कोई विवाद व स्थगन आदेश नही है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि की वसीयत संदेह से परे है एवं वसीयत की सत्यता प्रमाणित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक वसीयत दिनांक 01.01.2019 के अनुसार चक 16 एस के मु0नं0 25 की 2.139 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा यानि 0.305 है0 भूमि वसीयतग्रहिता हरप्रीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति रामगढिया निवासी गांव 16 एस तहसील श्रीकरनपुर के नाम दर्ज कर पालना से अवगत करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल है।

(गोकुलदान) ...20

तहसीलदार (भू अ.)
श्रीकरणपुर